आरक्षण का दायरा

Q. सीधी भर्ती में आरक्षण की मात्रा क्या है?

खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण होगा।
खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 16.66 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए 25.84 प्रतिशत आरक्षण होगा।

दिल्ली को छोड़कर, समूह सी और समूह डी पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आम तौर पर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है। ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, जो 27% की सीमा के अधीन है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण की मात्रा नीचे दी गई है।

जहां एक से अधिक राज्यों वाले क्षेत्रों या मंडलों या क्षेत्रों के लिए भर्ती की जाती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत आम तौर पर संबंधित क्षेत्रों / मंडलों / क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात और आरक्षण के आधार पर तय किया जाता है। ओबीसी को संबंधित क्षेत्रों/मंडलों/क्षेत्रों की जनसंख्या में उनके अनुपात को ध्यान में रखते हुए 27% की सीमा के अधीन निर्धारित किया गया है और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

उदाहरण: मान लीजिए कि किसी संगठन में समूह सी के पद पर सीधी भर्ती क्षेत्रीय आधार पर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से मिलकर बनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों की कुल जनसंख्या 38,857,269 और इन राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 2,486,474 और 10,465,898 है। इस प्रकार, क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 6.39% और 26.93% है। क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों की अनुमानित जनसंख्या क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 27% से अधिक है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 6%, 27% और 17% निर्धारित किया जा सकता है।

नोट 1: खुली प्रतियोगिता (open competition) के द्वारा भर्ती का मतलब है किसी भर्ती संस्था (UPSC, SSC आदि) द्वारा लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या फिर दोनों के आधार पर भर्ती करना। वहीं

जब इस तरीके के अलावे भर्ती की जाती है तो उसे गैर-खुली प्रतियोगिता (other than open competition) कहा जाता है।
नोट 2: स्थानीय/क्षेत्रीय/क्षेत्रीय/मंडल आधार पर भर्ती के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो संबंधित इलाके/क्षेत्र/राज्य/जोन/सर्कल से संबंधित नहीं हैं, वे भी आरक्षण का लाभ पाने के पात्र होंगे।

नोट 3: अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

Q. पदोन्नति में आरक्षण की मात्रा क्या है?

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वो भी तब, जब पदोन्नति की जाती है:

(ए) ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से;
(बी) ग्रुप बी पोस्ट से ग्रुप ए पोस्ट या ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों में चयन द्वारा; तथा
(सी) ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों में गैर-चयन द्वारा।

उपरोक्त सभी मामलों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि, वे ग्रेड जिनमें सीधी भर्ती का तत्व, (यदि कोई हो), 75 प्रतिशत से अधिक है; पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता है.

Q. वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, संबंधित सेवाओं में समूह ए के निम्नतम ग्रेड सहित "वैज्ञानिक और तकनीकी" पदों पर की गई नियुक्तियों पर लागू होता है।

ऐसे 'वैज्ञानिक और तकनीकी' पद जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण आदेशों के दायरे से छूट दी जा सकती है:

(i) पद, संबंधित सेवा के ग्रुप ए में निम्नतम ग्रेड से ऊपर के ग्रेड में होने चाहिए।
(ii) उन्हें कैबिनेट सचिवालय (कैबिनेट मामलों के विभाग) के संदर्भ में 'वैज्ञानिक या तकनीकी' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी, जिनके लिए प्राकृतिक विज्ञान या सटीक विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान या प्रौद्योगिकी में योग्यता निर्धारित है, और जिनके पदधारियों को उस ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में करना होता है।

(iii) पद 'अनुसंधान करने के लिए' या 'अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए होना चाहिए।

- उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी पद को आरक्षण योजना के दायरे से छूट देने से पहले संबंधित मंत्री के आदेश प्राप्त कर लिए जाने चाहिए।

- किसी सेवा के समूह ए के निम्नतम ग्रेड सहित अनुसंधान के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के मामले में, जो आरक्षण आदेशों के दायरे से मुक्त नहीं हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आरक्षण की योजना के अनुसार, आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सिवाय इसके कि:

(i) ऐसे पदों में आरक्षित रिक्तियों को केवल एक बार विज्ञापित करने की आवश्यकता है न कि दो बार;

(ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसे पदों की रिक्तियों को अनारक्षित किया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसा भी मामला हो, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विवरण और कारणों के साथ आरक्षण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

Q. औद्योगिक श्रमिकों के पदों में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

भारत सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान और ऐसे प्रतिष्ठानों में पद और ग्रेड, चाहे उन्हें समूह ए, बी, सी और डी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो या नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना, इसके अंतर्गत आते हैं।

Q. नियमित पदों पर कैजुअल वर्कर की नियुक्ति में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

नियमित पदों पर अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती का मामला होगा। अत: आकस्मिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करते समय सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित सामान्य आदेश आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण से संबंधित मामलों में लागू होंगे। आकस्मिक कर्मचारी, जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं, उन्हें केवल अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है।

Q. तदर्थ पदोन्नति (Ad-hoc promotion) में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

बुनियादी दृष्टिकोण के रूप में, तदर्थ पदोन्नति से बचा जाना चाहिए, हालांकि, यदि तदर्थ पदोन्नति असाधारण परिस्थितियों में की जानी है, जैसे कि अदालती मामलों के लंबित होने के दौरान, लंबे समय तक वरिष्ठता विवाद, आदि। तो प्रत्येक अवसर पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है जब तदर्थ पदोन्नति का सहारा लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसूचित जाति से संबंधित पात्र अधिकारियों के दावों को सुनिश्चित किया जा सके। और अनुसूचित जनजातियों को भी विधिवत माना जाता है:

- उन मामलों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण आदेश लागू होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिस्से में आने वाली रिक्तियों की संख्या समान होगी यदि रिक्तियों को नियमित आधार पर भरा जाना था।

- चूंकि तदर्थ पदोन्नति गैर-चयन के आधार पर की जाती है, इसलिए संबंधित वरिष्ठता सूची में शामिल सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या के भीतर, जिनके खिलाफ तदर्थ पदोन्नति की जानी है, पर विचार किया जाना चाहिए।

- सभी तदर्थ नियुक्तियों को यथाशीघ्र नियमित पदधारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जब नियमित पदोन्नति बाद में की जाती है, तो तदर्थ नियुक्तियों का प्रत्यावर्तन वरिष्ठता के विपरीत क्रम में सख्ती से किया जाना चाहिए, सबसे कनिष्ठ उम्मीदवार को पहले वापस किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्यावर्तन के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई विशेष रियायत नहीं दी जानी है।
- तदर्थ पदोन्नति के लिए किसी अलग औपचारिक रजिस्टर या रोस्टर रजिस्टर को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए तदर्थ पदोन्नति रजिस्टर नामक एक साधारण रजिस्टर बनाए रखा जा सकता है, जिसके लिए तदर्थ नियुक्तियों का रिकॉर्ड रखने और नियमित पदोन्नति पर उचित क्रम में प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं।

Q. एकल रिक्ति के मामले में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक भर्ती वर्ष में केवल एक रिक्ति होती है और यह आरक्षण योजना के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, इसे अनारक्षित माना जाना चाहिए और तदनुसार भरा जाना चाहिए और आरक्षण को बाद के भर्ती वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
बाद के भर्ती वर्ष में, भले ही केवल एक रिक्ति हो, इसे प्रारंभिक भर्ती वर्ष से अग्रेषित आरक्षण के खिलाफ "आरक्षित" माना जाना चाहिए, और एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी उम्मीदवार, यदि उपलब्ध हो, को नियुक्त किया जाना चाहिए।

Q. सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

इस संग्रह में निहित निर्देश भारत सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित हैं। सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकाय, स्वायत्त निकाय/संस्थाएं जिनमें नगर निगम, सहकारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं, अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कर सकते हैं।

Q. क्या स्वैच्छिक एजेंसियों (Voluntary Agencies) में आरक्षण दिया जा सकता है?

मंत्रालयों/विभागों को केंद्र सरकार से गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसी आदि को सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में जोर देना चाहिए कि यह अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले अनुसूचित जातियों, जनजातियों ओबीसी को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण देगा।

Q. आरक्षण की गैर-प्रयोज्यता या आरक्षण किस पर लागू नहीं होता है?

आरक्षण इस पर लागू नहीं होता है:
(i) 45 दिनों से कम अवधि की अस्थायी नियुक्तियाँ;
(ii) कार्यभारित पद जो आपात स्थिति जैसे बाढ़ राहत कार्य, दुर्घटना बहाली और राहत आदि के लिए आवश्यक हैं।
(iii) समूह 'ए' पद से दूसरे समूह 'ए' पद पर चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति।
(iv) वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर नियुक्ति जो समूह 'ए' के सबसे निचले पायदान से ऊपर हैं।
(v) प्रतिनियुक्ति/आमेलन (deputation)।
(vi) एकल पद संवर्ग (single post cadre)